Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में कृषि उपज मण्डी का कार्मिक 24 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई उदयपुर द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **मनोहरलाल, कार्मिक, कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर** को परिवादी से **24,000/– रुपये** नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. कार्यालय उदयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि वह कलडवास, उदयपुर में आटा मिल का संचालन करता है तथा कृषि उपज मण्डी, सवीना एवं अन्य व्यापारियों के माध्यम से गेहूं की वैध खरीद करता है।

परिवादी के अनुसार मार्च 2026 से आरोपी मनोहरलाल, कार्मिक, कृषि उपज मण्डी, सवीना द्वारा परिवादी से जुड़े व्यापारियों के गेहूं से भरे ट्रैक्टरों को रोककर चौकिंग के नाम पर तत्काल बिल प्रस्तुत करने का दबाव बनाया जा रहा था तथा बिल प्रस्तुत नहीं करने पर चालान किए जा रहे थे। इस कारण परिवादी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

परिवादी द्वारा आरोपी से इस संबंध में बातचीत करने पर उसके द्वारा परिवादी के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रैक्टरों को चौक नहीं करने एवं उनके चालान नहीं बनाने तथा परिवादी द्वारा खरीदे गए गेहूं के बिलों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने पर उसके विरुद्ध राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियमों के तहत पेनल्टी नहीं लगाने की एवज में तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर श्री मदन गुर्जर के नाम पर प्रतिमाह रिश्वत राशि की मांग की गई।

परिवादी के अनुसार पूर्व में आरोपी द्वारा अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 65,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त की जा चुकी थी। इसके पश्चात अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक के चार माह की अवधि के लिए भी पुनः रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

शिकायत के संबंध में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी मनोहरलाल द्वारा परिवादी से की जा रही रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई।

मांग की पुष्टि के उपरांत आज ए.सी.बी. उदयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के पर्यवेक्षण एवं **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त कुमार** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री रामसुमेर मीणा** मय ट्रैप टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोहरलाल, को परिवादी से 24,000/– रुपये नकद रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के पर्यवेक्षण में आरोपी मनोहरलाल से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।